राज्य द्वारा एडीपीओ अमियुक्त बंटी गुर्जर अनु०। प्रकरण अमि० की उप० हेतु नियत है।

्रप्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट तामील अधवा अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप0 नहीं हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अमियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट मिल्य में मिलने की संमावना दर्शित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमियुक्त अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए फरार हो गया है। ऐसे में अमियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द0प्र0संठ की धारा 299 के अधीन अमियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अमियोजन से पूछे जाने पर उन्होंने अन्य कोई साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अमियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अमियुक्त बंटी पुत्र जहानसिंह गुर्जर निवासी अंतरसाँहा आना बी जिला निष्ड की स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये।

mides [-2)12/18

Signature of Parties or Pleaders where

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Date of Order or

Signature of Date of Parties or Order or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Pleaders where Proceeding neca sary प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्थाही से टीप अंकित की जाये कि अभिवुक्त फरार है फ़करण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये। थाना प्रमारी को ज्ञापन भेजा जाए कि स्थाई वारंट को रोजनामचा सान्हा पर इन्द्राज कर सान्हा की सत्यापित नकल न्यायालय में अविलंब भेजे। प्रकरण अमिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये। (A.R.Gupta) 57 Fil Judicial Magistrate First Class Gohad distt. Bhind (M.P.) आयोगी वंदी अर्जर हो जाने भीता बाद प्राप्त स्वामा अहर वामील वाया प्राप्ती य द्वारा एडीपीओ मियुक्त बटी गुजर अनुए। रण अभिए की उपए हेत् नियत है। अदम तामीच वापस प्राप्त नहीं। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकृतिंदा ाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने होए फरार हो गया है। ऐसे में अभियुक्त की उपरिधाति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंकित नहीं एखा जा सकता। अतः द०प्र०सं० की धारा २९९ के अधीन आभयुक्त मेचित किया जाता है। मेंग्रोजन से पूछे जाने पर उन्होंने अन्य कोई साहत न कराना व्यक्त किया। भियुक्त वंटी पुत्र जहानसिंह गुर्जर निवासी अतरसोंहा थाना मी जिला है। ह को एसारी मिएफवारी वारंट वाल स्थाही से गय जमानवदार व हाल निवास पर्ने का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविद्धी